अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक/एफ.14(13)( )श्रम/विधि/20/ जयपुर, दिनांकः 17.4.2020

संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त
श्रम कल्याण अधिकारी(समस्त),

विषयः–कोरोना वायरस(कोविड–19) के चलते लॉकडाउन के कारण श्रमिकों विशेषतौर पर अप्रवासी श्रमिकों के रोजगार के विषय पर काउन्सिलिंग के संबंध में।

प्रसंगः–इस कार्यालय के पत्रांक 7617–50 दिनांक 13.4.20 के कम में।

–0–

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेवें। जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शैल्टर–होम्स में रखे गये श्रमिकों का हालचाल जानने एवं उन्हें मानसिक रूप से तनावग्रस्त होने की स्थिति में उनकी उचित काउन्सलिंग कर उन्हें श्रम विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ उठाये गये विभिन्न कदमों/दिशा निर्देशों की जानकारी देने हेतु सम्भाग व जिला स्तरीय श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षक इन शैल्टर होम्स का दौरा करेंगे तथा कोरोना वायरस से बचने हेतु समस्त सुरक्षा उपायों आदि की पूर्ण अनुपालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

गौरतलब है कि शैल्टर होम्स में रखे गये श्रमिकों की काउन्सलिंग हेतु संलग्न प्रोफार्मा में उल्लेखित बिन्दुओं के कम में वस्तुतः रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को मुख्यालय को निम्न ई–मेल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ताकि तदानुसार रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवायी जा सके। (ई–मेल आईडी–lab-alcir-rj@nic.in)

कृपया इसे सर्वोच्चता प्रदान करें।

भवदीय,

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ.14(13)( )श्रम/विधि/20/8231–33 जयपुर, दिनांकः 17.4.2020

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, बोर्ड।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned by CamScanner

शैल्टर होम्स में अप्रवासी श्रमिकों की काउन्सलिंग के संबंध में सूचना

कार्यालय का नाम	काउन्सलिंगकर्ता अधिकारी / श्रम निरीक्षक का नाम	काउन्सलिंग की दिनांक	शैल्टर होम का नाम जहां काउन्सलिंग की गई	शैल्टर होम प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर	शैल्टर होम में श्रमिकों की कुल संख्या		विशेष विवरण
					प्रवासी	अप्रवासी	

Scanned by CamScanner